[2008] 14 एस. सी. आर 723

कपिल देव सिन्हा

बनाम

किरणदेव प्रसाद एवं एक अन्य

(2003 की आपराधिक अपील सं. 1112)

17 अक्टूबर 2008

[डॉ. अरिजीत पसायत और डॉ. मुकुंदकम शर्मा, न्यायमूर्तिगण]

दंड संहिता, 1860: धारा 302 - अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि- उच्च न्यायालय द्वारा बरी - तथ्यों के आधार पर, सही नहीं - बिना किसी स्पष्टीकरण के जाँच अधिकारी और चिकित्सक से पूछताछ न करने से अभियोजन पक्ष का मामला कमज़ोर हो गया - गवाह ने कहा कि कथित घटना के समय अभियुक्त मौजूद नहीं था - उच्च न्यायालय ने सही ढंग से बरी करने का आदेश दिया।

अभियोजन पक्ष का मामला यह था कि 25.3.1978 की शाम को, जब सूचक अभियोजन साक्षी-5, अभियोजन साक्षी-7 और मृतक के साथ दालान में बैठा था, अभियुक्त पक्ष वहाँ आया और अपने-अपने हथियारों से उन पर हमला करना शुरू कर दिया। इससे मृतक की मृत्यु हो गई और अन्य घायल हो गए। छह अभियुक्तों पर परीक्षण चला। सत्र न्यायालय ने पाँच अभियुक्तों को बरी करने का निर्देश दिया, जबकि उत्तरदाता सं. 1 को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत अपराध का दोषी ठहराया। उच्च न्यायालय ने पाया कि अभियोजन पक्ष के मामले को आगे बढ़ाने के लिए सात गवाहों की परिक्षण की गई। अभियोजन साक्षी-1, मृतक के पुत्र ने कहा कि वे होली के गीत गा रहे थे और अंधेरे के कारण वे यह नहीं जान सके कि हमलावर कौन था। अभियोजन साक्षी-5, 6 और 7 ने अभियोजन साक्षी-1 के कथन के विपरीत कहा कि वे मृतक की मृत्यु के कारण होली में भाग नहीं ले रहे थे। उच्च न्यायालय ने इसे असंभव पाया क्योंकि हमलों से मृतक की मृत्यु

शाम को हुई थी। उनका मानना था कि अभियोजन पक्ष द्वारा बिना कोई स्पष्टीकरण दिए अन्वेषण अधिकारी और डॉक्टर से पूछताछ न करना और अभियोजन साक्षी- 5, 6 और 7 के साक्ष्यों की अविश्वसनीयता अभियोजन पक्ष के बयान को खारिज करने के लिए पर्याप्त थी। तदनुसार, उच्च न्यायालय ने बरी करने का आदेश दिया। इसलिए वर्तमान अपील प्रस्तुत की गयी है।

अपील को खारिज करते हुए, न्यायालय ने

अभिनिर्धारित: 1. अन्वेषण अधिकारी और डॉक्टर से पूछताछ नहीं की गई। इस बात का कोई कारण नहीं बताया गया कि उनसे पूछताछ क्यों नहीं की गई। अभियोजन साक्षी-1 के साक्ष्य ने महत्व प्राप्त कर लिया। उसने स्पष्ट रूप से कहा कि कथित घटना के समय अभियुक्त उत्तरदाता सं. 1 मौजूद नहीं था। इसके अलावा, जैसा कि उच्च न्यायालय ने सही कहा, अभियोजन साक्षी-5, 6 और 7 ने कहा कि मृतक के दुखद निधन के कारण वे सुबह से होली नहीं मना रहे थे और होली के गीत नहीं गा रहे थे। अभियोजन पक्ष का कथन था कि हमले शाम को हुए थे और इसलिए परिवार के सदस्यों ने यह अनुमान नहीं लगाया होगा कि शाम को हमला होगा और जानमाल का नुकसान होगा और वे होली नहीं मनाएंगे। [कंडिका 4] [727-डी-एफ]

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2003 की आपराधिक अपील सं. 1112

आपराधिक अपील सं. 416/1987 में पटना उच्च न्यायालय के दिनांक 26.6.2002 के निर्णय एवं आदेश से

अपीलार्थी के लिए-श्वेता गर्ग, राकेश गर्ग और ख्वैरकपम नोबिन सिंह।

उत्तरदाताओं के लिए-अमित शर्मा, सुचित मोहंती, अनुपम लाल दास और बी. बी. सिंह।

न्यायालय का निर्णय निम्नलिखित द्वारा सुनाया गया:

डॉ. अरिजीत पसायत, न्यायमूर्ति, 1. इस अपील में पटना उच्च न्यायालय की खंडपीठ

के उस फैसले को चुनौती दी गई है जिसमें उत्तरदाता सं. 1 (जिसे आगे 'अभियुक्त' कहा जाएगा) को बरी करने का निर्देश दिया गया था। अपीलकर्ता इस मामले में सूचक था। छह अभियुक्तों पर मुकदमा चला और नालंदा के विद्वान सत्र न्यायाधीश ने पाँच अभियुक्तों को बरी करने का निर्देश दिया, जबकि उत्तरदाता सं. 1 को भारतीय दंड संहिता, 1860 (संक्षेप में 'भा.दं.सं.') की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध का दोषी ठहराया। उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। अपील में, उच्च न्यायालय ने दोषसिद्धि को अपास्त कर दिया।

2. अभियोजन पक्ष का मामला संक्षेप में इस प्रकार है:

25.3.1978 की शाम लगभग 6 बजे सूचक कपिलदेव सिंह (अभियोजन साक्षी 6) अपने चाचा सुखू महतों (जिसे आगे 'मृतक' कहा जाएगा), सोमर महतों (अभियोजन साक्षी 5) और पिता रामजी प्रसाद (अभियोजन साक्षी 7) के साथ दालान में बैठे थे और किराये के मामले पर बात कर रहे थे। इसी बीच उत्तरदाता सं. 1 किरणदेव प्रसाद बंदूक के साथ, अभियुक्त अखिलेश प्रसाद सैफ के साथ और शेष चार अभियुक्त व्यक्ति, नंदू प्रसाद, मथुरा प्रसाद, भागवत प्रसाद और उमेश प्रसाद लाठी के साथ वहां आए और सुखू महतों के साथ गाली-गलौज करने लगा। विरोध करने पर उत्तरदाता सं. 1 किरणदेव प्रसाद ने अपनी बंदूक से सुखू महतों पर गोली चला दी जो उनके सीने के दाहिने हिस्से में लगी और वह गिर पड़े। अभियुक्त अखिलेश प्रसाद ने सैफ से सुखू महतों के सिर पर हमला किया। अभियुक्त भागवत प्रसाद ने सूचक कपिलदेव सिन्हा (अभियोजन साक्षी 6) के सिर पर सैफ से और उमेश प्रसाद ने उसके दाहिने हाथ पर लाठी से हमला किया। अभियुक्त मथुरा प्रसाद ने भी सूचक के दाहिने कंधे पर हमला किया और अभियुक्त अखिलेश प्रसाद ने सैफ के लाठी वाले हिस्से से उसके चाचा सोमर महतों पर हमला किया जिससे उसके दोनों हाथ घायल हो गए। उनकी चीख-पुकार सुनकर राजेंद्र महतों (अभियोजन साक्षी 2) सहित अन्य ग्रामीण वहाँ पहुँचे और सह-अभियुक्त नंदू ने उन पर भी हमला कर दिया। घायल सुखू महतों की घटनास्थल पर ही गोली लगने से मृत्यु हो गई।

घटना के पीछे का कारण उत्तरदाता किरण देव प्रसाद द्वारा घटना से 10/12 दिन पहले सत्य नारायण पूजा के अवसर पर आयोजित रात्रिभोज में अभियोजन पक्ष की गैर-भागीदारी बताया गया है और उत्तरदाता ने उसे गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी थी।

मृतक सुखू महतों को नालंदा जिले के बिहारशरीफ स्थित इस्लामपुर थाने ले जाया गया। सूचक कपिलदेव सिन्हा (अभियोजन साक्षी 6) ने कानून का सहारा लिया और उनके बयान के आधार पर पुलिस ने एक औपचारिक प्राथमिकी दर्ज की और उत्तरदाता सं. 1 और पाँच अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 147/148/149/302/324 और शस्त्र अधिनियम, 1927 (संक्षेप में 'शस्त्र अधिनियम') की धारा 27 के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया। जाँच अधिकारी ने अपनी जाँच शुरू की और अंततः सभी छह अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र दायर किया और उन पर बिहारशरीफ स्थित नालंदा के विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा मुकदमा चलाया गया।

परीक्षण के दौरान अभियोजन पक्ष ने सात गवाहों से पूछताछ की, जबकि बचाव पक्ष ने किसी से भी पूछताछ नहीं की।

आरोपियों ने अपनी बेगुनाही तथा दुश्मनी के कारण झूठा फ़साने का दावा किया।

अभियोजन पक्ष के साक्ष्य और अभिलेख पर उपलब्ध अन्य सामग्रियों पर विचार करने के बाद, विचारण न्यायाधीश ने उत्तरदाता सं. 1, किरणदेव प्रसाद को दोषी ठहराया और ऊपर बताए अनुसार सजा सुनाई। हालाँकि, उन्होंने शेष पाँच अभियुक्तों को उनके विरुद्ध लगाए गए आरोपों से बरी कर दिया। अतः किरणदेव प्रसाद द्वारा अपील दायर की गई।

उच्च न्यायालय के समक्ष उत्तरदाता सं. 1 ने बताया कि मामले की अन्वेषण करने वाले पुलिस अधिकारी से अधीनस्थ न्यायालय में पूछताछ नहीं की गई, जिससे उसके प्रति गंभीर पूर्वाग्रह पैदा हुआ। मृतक के शव का शव-परीक्षण करने वाले चिकित्सक से भी पूछताछ नहीं की गई।

उच्च न्यायालय ने पाया कि अभियोजन पक्ष के बयान को आगे बढ़ाने के लिए सात

गवाहों से पूछताछ की गई। हालाँकि अभियोजन साक्षी 1 मृतक का पुत्र था, अभियोजन साक्षी 2 घायल गवाह था, अभियोजन साक्षी 6 वर्तमान अपीलकर्ता सूचक था, अभियोजन साक्षी 5, 6 और 7 यानी क्रमशः सोमर महतों, कपिलदेव सिन्हा और रामजी प्रसाद उर्फ रामा को घटना का चश्मदीद गवाह बताया गया। अभियोजन साक्षी 1 मृतक के पुत्र ने कहा कि वे होली के गीत गा रहे थे। अभियोजन साक्षी 1 ने यह भी कहा कि अंधेरे के कारण वे यह नहीं जान सके कि हमलावर कौन था। अभियोजन साक्षी 5, 6 और 7 ने अभियोजन साक्षी 1 के कथन के विपरीत कहा कि वे मृतक की मृत्यु के कारण होली में भाग नहीं ले रहे थे। उच्च न्यायालय ने इसे असंभव पाया क्योंकि हमलों से मृतक की मृत्यु शाम को हुई थी। उच्च न्यायालय का मानना था कि अभियोजन पक्ष द्वारा बिना कोई स्पष्टीकरण दिए अन्वेषण अधिकारी (संक्षेप में 'आई.ओ.') और डॉक्टर से पूछताछ न करना और अभियोजन साक्षी 5, 6 और 7 के साक्ष्य की उपरोक्त अविश्वसनीयता अभियोजन पक्ष के बयान को खारिज करने के लिए पर्याप्त थी।

सूचक-अपीलकर्ता ने दलील दी कि केवल इसलिए कि अन्वेषण अधिकारी और डॉक्टर से पूछताछ नहीं की गई, यह अभियोजन पक्ष के बयान को खारिज करने का आधार नहीं हो सकता। इसके अलावा, होली के गीत गाकर जश्न सुबह से देर रात तक जारी रहा, इसलिए अभियोजन साक्षी 5, 6 और 7 के साक्ष्य में कुछ भी अविश्वसनीय नहीं था।

3. अभियुक्त-उत्तरदाता के विद्वान अधिवक्ता ने उच्च न्यायालय के निर्णय का समर्थन किया।

4. इस मामले में यह देखा गया है कि न तो अन्वेषण अधिकारी और न ही डॉक्टर से पूछताछ की गई है। इस बात का कोई कारण नहीं बताया गया है कि उनसे पूछताछ क्यों नहीं की गई। इसके अलावा, अभियोजन साक्षी 1 का साक्ष्य भी महत्वपूर्ण है। उसने स्पष्ट रूप से कहा है कि कथित घटना के समय अभियुक्त उत्तरदाता सं.1 वहां मौजूद नहीं था। इसके अलावा, जैसा कि उच्च न्यायालय ने सही कहा है, अभियोजन साक्षी 5, 6 और 7 ने कहा

कि मृतक के दुखद निधन के कारण वे सुबह से होली नहीं मना रहे थे और होली के गीत नहीं गा रहे थे। अभियोजन पक्ष का कथन है कि हमले शाम को हुए थे और इसलिए परिवार के सदस्यों को यह अनुमान नहीं था कि शाम को हमला होगा और जानमाल का नुकसान होगा और इसलिए उन्होंने होली नहीं मनाई। उच्च न्यायालय ने बरी करने का निर्देश देने के लिए इन कारकों पर ध्यान नहीं दिया है। हमें उच्च न्यायालय द्वारा निकाले गए निष्कर्षों में कोई ऐसी कमी नहीं दिखती जिससे हस्तक्षेप किया जा सके।

5. तदनुसार अपील खारिज की जाती है।

याचिका खारिज की जाती है।

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।